न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—54 / 2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

संजय पुत्र चन्द्र भान मेघवाल उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 टिब्बी पुलिस थाना टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. गैरसायल स्वयं।

निर्णय **दिनांकः—21.10.2021**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना टिब्बी द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल संजय पुत्र चन्द्र भान मेघवाल उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 टिब्बी पुलिस थाना टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ का रहने वाला है जो सट्टा की खाईवाली करने का आदि है एवं जवान उम्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी है मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। इस कारण काफी आपराधिक गतिविधियां रिकॉर्ड में नहीं आती है फिर भी इसके विरूद्ध काफी आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस थाना, टिब्बी के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 4 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें सभी अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1.	88/24.03.17	13 आरपीजीओ	चलान 11.04.17	सजा 11.04.17
2.	90/24.03.17	13 आरपीजीओ	चलान 13.04.17	सजा 13.04.17
3.	108/11.04.17	13 आरपीजीओ	चलान 11.05.17	सजा 11.05.17
4.	112/16.04.17	13 आरपीजीओ	चालान 10.05.17	सजा 10.05.17

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल संजय पुत्र चन्द्र भान मेघवाल उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 टिब्बी पुलिस थाना टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने स्वयं दिनांक 15.07.2021 को उपस्थित होकर जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है, अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल ने जवाब के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि उसके विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. पब्लिक गैंबलिग ऑर्डिनेंस के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर रंजिशवश किये गये है। प्रार्थी उस वक्त गलत संगत से नशे की बुरी आदत में पड़ गया था जिससे प्रार्थी पर कैस हो गये। अब बिलकुल स्वस्थ हूं तथा नवज्योती फांउडेशन, नशा मुक्ति कैन्द्र, नोहर से इलाज करवा लिया है तथा वर्तमान में कोई नशा व गलत काम नहीं कर अपनी मां के साथ अच्छी तरह अपना जीवन–यापन कर रहा हुं। इसके बाद मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है। प्रार्थी ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि प्रार्थी अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत टिब्बी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व प्रार्थना–पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी उस वक्त गलत संगत से नशे की बुरी आदत में पड़ गया था जिससे प्रार्थी पर कैस हो गये। अब बिलकुल स्वस्थ हूं एवं ग्राम पंचायत में शांति से रह रहा हूं तथा आगे से प्रार्थी अपने क्षेत्र में अमन–चैन बनाये रखेगा। प्रार्थी की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को 100–100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2017 में दर्ज किये गये है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। गैर सायल ने बहस में निवेदन किया कि उसने अपने जीवन शैली में सुधार किया है तथा प्रार्थी उस वक्त गलत संगत से नशे की बुरी आदत में पड़ गया था जिससे प्रार्थी पर कैस हो

गये। अब बिलकुल स्वस्थ हूं। वर्तमान में कोई नशा व गलत काम नहीं कर अपनी मां के साथ अच्छी तरह अपना जीवन–यापन कर रहा हुं। गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता हुं तथा गांव में किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता हुं।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा खारिज़ किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़